

प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक: 23.12.2020

जयपाल हत्याकाण्ड में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी पिन्टू थाना नरसैना पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.08.2020 को थाना नरसैना क्षेत्र के ग्राम पाली आनन्दगढी के चौकीदार मनोज कुमार द्वारा थाना नरसैना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई थी कि उसके गांव के सुलेन्द्र के ईंख के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है जिसकी गला रेतकर हत्या की गयी थी। उक्त सूचना पर तत्काल थानाप्रभारी नरसैना मय फोर्स के मौके पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए थाना नरसैना पर मु0अ0सं0-204/20 धारा 302,201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मृतक की पहचान जयपाल पुत्र बृजपाल निवासी दुमलिया अस्तौली थाना परौर जनपद शाहजहांपुर के रूप में हुई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी स्याना श्रीमती अलका के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष नरसैना श्री शौकेन्द्र सिंह को घटना के अनावरण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। थानाध्यक्ष नरसैना श्री शौकेन्द्र सिंह द्वारा गहनता से की गयी विवेचना/कार्यवाही में हत्याकांड में संलिप्त अभियुक्त 1-दिनेश उर्फ दिन्नु पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम डबकौरा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर 2-सुनीता पत्नी अशोक निवासी कस्बा व थाना भागलपुर(बिहार), 3-पिन्टू पुत्र प्रताप सिंह निवासी डबकौरा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर व 4-अमित पुत्र जगवीर निवासी दुलखरा थाना अहार बुलन्दशहर के नाम प्रकाश में आये थे। जिसमें से दिनेश उर्फ दिन्नु, सुनीता व अमित को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अभियुक्त पिन्टू उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज दिनांक 23.12.2020 को थानाध्यक्ष नरसैना श्री शौकेन्द्र सिंह मय पुलिस फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पिन्टू को उँचागांव पेट्रोल पम्प के पास से समय करीब प्रातः 09.10 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पिन्टू पुत्र प्रताप सिंह निवासी डबकौरा थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

उपरोक्त घटना की मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ व विभिन्न तकनीकी साक्ष्य संकलन आदि कार्यवाही से ज्ञात हुआ था कि मृतक जयपाल व उसकी प्रेमिका सुनीता अपने एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में साहिबाबाद में किराये के मकान रहते थे। जयपाल व सुनीता के मध्य अक्सर किसी न किसी बोट को लेकर झगड़ा होता रहता था तथा अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नु द्वारा दोनों के झगड़े में मध्यस्थता कराते हुए सुनीता का ही पक्ष लिया जाता था। धीरे-धीरे दिनेश उर्फ दिन्नु व सुनीता के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो गये तथा जयपाल दोनों को रास्ते का रोड़ा लगने लगा। इसी बात को लेकर दोनों ने जयपाल को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनायी तथा दिनांक 16/17.08.2020 की मध्यरात्रि में अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नु ने अपने भतीजे पिन्टू व भांजे अमित के साथ मिलकर योजनानुसार जयपाल को पत्थरी की दवाई दिलाने के बहाने एक किराये की गाड़ी से थाना नरसैना क्षेत्रान्तर्गत गांव पाली आनन्दगढी के जंगल में ले जाकर बलकटी से उसका गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नरसैना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री शौकेन्द्र सिंह थाना प्रभारी नरसैना
- 2- उ0नि0 राजपाल सिंह
- 3- है0का0 विजय राणा, का0 श्याम कुमार गिरि, का0 विकसित कुमार